



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 588]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

सं. 02/2019-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 753(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, 1 अक्टूबर, 2019 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

2. खेती हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्याधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

- (i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2018-19 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फीन की औसत उपज 4.5 कि.ग्रा/हे. से कम नहीं थी।

टिप्पणी :-

1. प्रति हेक्टेयर किग्रा में मार्फीन के अवयव की औसत अर्हक उपज को इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई-एम) कहा जाएगा।

2. प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में दिए जाने वाले अफीम की औसत अर्हक उपज को इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई) कहा जाएगा

(ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2015-16 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं थी।

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2018-19 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2016-17 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।

(v) किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म सं. 1 (देखें नियम 7) के कॉलम 11 में नामित किया गया हो।

(vi) किसी कारणवश पात्र दिवंगत किसान के विधिक उत्तराधिकारी को जहाँ फॉर्म सं. 1 में नामित नहीं किया गया हो (फसल वर्ष 2017-18 से पहले की अवधि भी सम्मिलित है) या किसी फसल वर्ष में फॉर्म सं. 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य/रक्त संबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हों।

2 (क) उन किसानों के अलावा जोकि उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार अफीम को खेती के लिए लाइसेंस के पात्र हैं , वे किसान (उनके विधिक उत्तराधिकारी भी) इसके लिए पात्र होंगे जिनको फसल वर्ष 2017-18 से लेकर 2018-19 तक लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था। बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं :

(क) ऐसे किसान के लाइसेंस को निम्न में से किसी भी आधार पर रद्द न किया गया हो :-

(i) फसल वर्ष 2004-05 में और उससे आगे भी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र, 5 प्रतिशत की अतिरिक्त 'क्षम्य सीमा' तक, से अधिक क्षेत्र में वास्तविक रूप से खेती कर रहे हों

(ii) फसल वर्ष 2003-04 के दौरान और उसके आगे भी अपमिश्रित अफीम या 'घटिया किस्म' के रूप में वर्गीकृत अफीम की आपूर्ति की हो और सरकारी अफीम एवं क्षारोध कारखाना नीमच/गाजीपुर में किए गए परिक्षण के अनुसार उनमें मार्फिन की मात्रा 9 प्रतिशत से कम रही हो।

(ख) ऐसे किसान जिन्होंने पिछले लगातार 5 वर्षों में कुल एमक्यूवाई (अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस दिए जाने के लिए निर्धारित) के कुल औसत के बराबर या 100 प्रतिशत से अधिक की अफीम की आपूर्ति की हो ऐसे 5 वर्षों में वे वर्ष भी शामिल हैं जिनमें लाइसेंस रद्द किए जाने के पहले के वर्षों में औसत अफीम की आपूर्ति की गई हों लाइसेंस को विधिक उत्तराधिकारी को अंतरित किए जाने के मामलों में दिवंगत कृषक द्वारा दिए गए औसत पर भी दी गई अफीम के कुल औसत की गणना करने में विचार किया जाएगा।

(ग) ऐसे विधिक उत्तराधिकारी जिनको कि केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के किसी अधिकारी ने लाइसेंस से मना न किया हो और ऐसा लाइसेंस को अंतिम रूप से पूर्ण माना गया हो।

(घ) वर्ष 1997-98 के बाद से तथा लाइसेंस का रद्द किए जाने के पूर्व तक कम से कम 5 वर्ष तक कृषक ने अफीम दी हो।

स्पष्टीकरण:- पैरा 2 क के उद्देश्य के लिए

1. कुल एमक्यूवाई की गणना के लिए यदि किसी वर्ष के लिए एक से अधिक एमक्यूवाई निर्धारित की जाती है तो इनमें से जो सबसे कम एमक्यूवाई होगी उसी पर विचार किया जाएगा बशर्ते की ऐसी एमक्यूवाई (क्षतिग्रस्त क्षेत्र के लिए निर्धारित विशेष एमक्यूवाईसे भिन्न) को फसल वर्ष के चालू रहने के दौरान ही घोषित किया गया हो।

2. इस 5 वर्ष की अवधि में ऐसा कोई वर्ष शामिल नहीं किया जाएगा जिनमें किसी विशेष कृषक को किसी फसल वर्ष में कम किए गए एमक्यूवाई का लाभ मिला हो।
3. दी गई औसत अफीम जिसे घटिया किस्म का घोषित किया गया हो किन्तु इसमें मार्फिन की मात्रा 9% से कम नहीं है ऐसी गत 5 वर्षों में दी गई अफीम की कुल औसत मात्रा को भी ध्यान में लिया जाएगा।

2(ब) ऐसे किसान जिन्होंने निम्न इंगित तौर पर औसतन अफीम दी हो, का एक विधिक अधिकारी भी अफीम पोस्ट की खेती के लाइसेंस के लिए पात्र होगा।

फसल वर्ष	कम एमक्यू वाई के लाइसेंस को रद्द किया जाने वाले वर्ष	फसल वर्ष 2018-19 में फिर से लाइसेंस दिए जाने के लिए निर्धारित एमक्यूवाई	
		मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए	उत्तर प्रदेश के लिए
1998-1999	1999-2000	40 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 41 से कम	40 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 41 से कम
1999-2000	2000-2001	48 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 49 से कम	40 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 41 से कम
2000-2001	2001-2002	50 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 51 से कम	42 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 43 से कम
2001-2002	2002-2003	50 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 51 से कम	43 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 44 से कम
2002-2003	2003-2004	51 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 52 से कम	45 से अधिक या उससे बराबर लेकिन 46 से कम

2 (ग) ऐसे किसान जिनके लाइसेंस को फसल वर्ष 1999 से 2017 तक इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उन्होंने घटिया अफीम की आपूर्ति की थी लेकिन सरकारी अफीम एवं क्षारोद्य कारखाना नीमच /गाजीपुर में किए गए परीक्षण के अनुसार उनके अफीम में मार्फिन की मात्रा 9 प्रतिशत से अधिक थी, अफीम पोस्ट की खेती के पात्र होंगे।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

- (i) उसने फसल वर्ष 2018-19 के दौरान पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो;
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्ट की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो ;

(iii) फसल वर्ष 2018-19 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो;

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों को फसल वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

क्रम सं.	एमक्यूवाई-एम (किलोग्राम/हेक्टेयर में) फसल वर्ष 2018-19 के लिए	लाइसेंस क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	4.5 और इससे अधिक किन्तु 5.4 से कम	0.06
2	5.4 और इससे अधिक किन्तु 5.9 से कम	0.10
3	5.9 और इससे अधिक	0.12

(ii) वह पात्र किसान जो उपरोक्त क्रम सं. (i) के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें 0.05 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(iii) किसान अधिकतम दो भूखंडों में अफीम पोस्ट बो सकते हैं।

(iv) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडों को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. पूर्व चेतावनी

(i) आने वाले वर्ष 2020-21 में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2019-20 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज देना जरूरी है।

(ii) वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2019-20 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।

(iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि वे फसल वर्ष 2019-20 में भी पुनः अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।

(iv) भविष्य में, यदि सरकार अतिरिक्त लाइसेंस देना चाहती है तो वह उन किसानों के रद्द किए गए लाइसेंस को पुनः दे सकती है जिन्होंने ऐसी अफीम/मार्फीन की आपूर्ति की थी जिनकी लगातार 5 वर्ष में कुल एमक्यूवाई/एमक्यूवाई-एम (अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए निर्धारित) के कुल 108 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक का कुल औसत था।

(v) ऐसे किसान फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में खेती किए गए कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक की अफीम फसल पोस्ट फसल की जुताई कर दी थी आने वाले फसल वर्ष अर्थात् 2021-22 में अफीम पोस्ट की खेती के लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

6. माफी योग्य सीमा:

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2019-20 के दौरान अफीम पोस्ट की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

- (ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेख में नहीं लिया जाएगा।
- (iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्ट भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
- (v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोध कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।
- (vi) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते की ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो।

[फा. सं. एन-14011/01/2019-स्वापक नियंत्रण-I]

टी.के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2019

No. 02/2019-Narcotics Control-1

G.S.R. 753(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2019 and ending with the 30th day of September, 2020.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate opium poppy:

- (i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2018-19 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) not less than **4.5 kg** per hectare.

Note-

1. *Average qualifying yield of Morphine in opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY-M) in the notification hereinafter.*
 2. *Average qualifying yield of opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY) in the notification hereinafter.*
- (ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year 2016-17, 2017-18 & 2018-19 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2015-16.

- (iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2018-19.
- (iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2016-17 or during any subsequent crop year and were eligible for a license in the following crop year, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (v) Cultivators who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2018-19.
- (vi) One of legal heirs of deceased eligible cultivators in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason (including period prior to crop year 2017-18) or nomination of person not falling under definition of family members/blood relatives in Form No. 1 is made in any crop year.
- 2A.** In addition to cultivators eligible for license to cultivate opium poppy in terms of Para 2 above, Cultivators (including their legal heirs) who were de-licensed in the crop year 2017-18 to 2018-19 provided they fulfill the following conditions shall also be eligible for a license to cultivate opium poppy:
- (a) The cultivator should not have been de-licensed on any of the grounds mentioned: -
- (i) Of actually cultivating in an area exceeding the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2004-05 or onwards beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- (ii) Of tendering adulterated opium or opium classified as 'inferior opium' having Morphine Content less than 9% in the test results by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch/ Ghazipur during crop year 2003-04 or onwards.
- (b) Cultivators who have tendered opium having total average equal to or more than 100 percent of the total of MQY (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years. Such five years would include average opium tendered in the year/ years before year/ years of such de-licensing. In case of transfer of license to legal heir, average tendering by deceased cultivators would be taken into account for computation of total of averages of opium tendered.
- (c) One of legal heirs who has not been refused license by any officer of Central Bureau of Narcotics and such order has since become final.
- (d) Cultivator should have tendered opium for minimum of five years after crop year 1997-98 before being de-licensed.

Explanation: - For the purpose of Para 2A

1. If more than one MQY has been fixed for a crop year, then for the purpose of calculating total MQY, the MQY which is least of such MQY shall be considered, provided such least MQY (other than special MQY for damage area) has been declared under the currency of that crop year.
2. The period of 5 years shall not include any year in which a particular cultivator availed the benefit of reduced MQY in any crop year.
3. Average of tendered opium declared as inferior but having Morphine contents not below 9% shall be taken into account for computation of total average of last five tendered years.

2B. One of legal heirs of cultivators who tendered average opium as indicated below, shall also be eligible for a license to cultivate opium poppy :-

Crop year	Year of de-licensed on low MQY	MQY fixed for re-license in crop year 2018-19	
		For M.P and Rajasthan	For U.P.
1998-1999	1999-2000	More than or equal to 40 but less than 41	More than or equal to 40 but less than 41
1999-2000	2000-2001	More than or equal to 48 but less than 49	More than or equal to 40 but less than 41
2000-2001	2001-2002	More than or equal to 50 but less than 51	More than or equal to 42 but less than 43
2001-2002	2002-2003	More than or equal to 50 but less than 51	More than or equal to 43 but less than 44

2002-2003	2003-2004	More than or equal to 51 but less than 52	More than or equal to 45 but less than 46
-----------	-----------	--	--

2C. Cultivators who were de-licensed during crop year 1999 to 2017 on the grounds of tendering inferior opium but their morphine content was found more than 9% in the test results of the Government Opium Alkaloid Works at Neemuch or Ghazipur, shall also be eligible for a license to cultivate opium poppy.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

- He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2018-19 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.
- He/she did not during the crop year 2018-19 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

- All eligible tendered cultivators of crop year 2018-19 will be issued license as below:

S.No.	MQY-M (In Kg/Hectare) for the Crop Year 2018-19	Licensed area (In Hectares)
1	4.5 and above but less than 5.4	0.06
2	5.4 and above but less than 5.9	0.10
3	5.9 and above	0.12

- Eligible cultivators not falling in S.No. (i) above will be issued license for 0.05 hectares.
- Cultivators can sow opium poppy in not more than **two** plots.
- Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

- A minimum qualifying yield (MQY –M) of **5.9 Kg Morphine / Hectare of Morphine** in opium tendered should be achieved during the crop year 2019-20 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2020-21.
- Morphine content of opium tendered during 2019-20 may become the basis for payment for the crop year 2019-20, if the Government decides to do so in this regard.
- Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2016-17, 2017-18 and 2018-19 would not be entitled for license in the crop year 2020-21, if they also plough back their crop fully in the crop year 2019-20.
- In future, if Government intends to grant additional licenses, it may consider re-licensing of de-licensed cultivators who had tendered opium/ Morphine having total average equal to or more than 108 percent of the total of MQY/ MQY-M (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years.
- The cultivators who get their opium poppy crop ploughed back in excess of 50% of total of areas cultivated during the crop years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 may not be eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2021-22.

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

7. Miscellaneous

- Any cultivator who cultivates opium poppy during 2019-20 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.

- (i) These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (ii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.
- (iv) The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.
- (v) For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, the quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.
- (vi) In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.

[F. No. N-14011/01/2019-NC-I]

T. K. SATPATHY, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/ पौष 3, 1941

No. 743]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/ PAUSHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सं. 04/2019-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 950(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), दिनांक 01/10/2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ) दिनांक 01/10/2019 में पैरा 2 में, उप पैरा(i) को हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण को 4.5 के स्थान पर 4 से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 14011/01/2019-एन.सी.-1 (भाग-II)]

दिनेश बौद्ध, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2019

No. 04/2019-Narcotics Control-1

G.S.R. 950(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, 6619 GI/2019

Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 753(E) dated 01/10/2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), namely:—

1. In the said notification No. G.S.R 753(E) dated 01/10/2019, para 2, Sub-para (i) of Hindi version and English version, for the figure “4.5”, the figure “4.0” shall be substituted.

[F. No. 14011/01/2019-NC-1 (pt.-II)]

DINESH BOUDDH, Director (N. C.)